न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./50/2014/बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. घमण्डाराम पुत्र रतनाराम जाति मेघवाल निवासी धारासर का तला (बायतु भीमजी) तहसील बायतु जिला बाड़मेर।	बनाम	1.कमला पुत्री अजबाराम जाति मेघवाल निवासी बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर। 2.राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बायतु।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 22/2013 बअनवान कमला बनाम घमण्डाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2013 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रिणछाराम सियाग अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 29.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम धारासर का तला पटवार क्षेत्र बायतु भीमजी तहसील बायतु में खेत खसरा संख्या 878/746, 908/771 व 912/772 समस्त रकबा 62 बीघा प्रारम्भ में अपीलांट एवं अपीलांट के भाई मूलाराम अर्थात घमण्डा, मूला पिता रतना की संयुक्त खातेदारी में आये थे तथा अपीलांट व अपीलांट के भाई मूलाराम ने अपनी–अपनी सुविधा अनुसार काश्त व आवास के उद्देश्य से संयुक्त खातेदारी जोत का विभाजन कर दिया था। अपीलांट के भाई मूलाराम ने अपने खातेदारी हिस्सा 1/2 का पंजीबद्ध बेचान अजनबी क्रेता उतरदाता संख्या 01 को कर दिया उतरदाता संख्या 01 ने इस संयुक्त खातेदारी की जोत में अपना हिस्सा विभक्त करवाने के उद्देश्य से इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की गई है व एकपक्षीय है। विभाजन प्रस्ताव बनाते समय अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। प्रकरण में तहसीलदार बायतु को मौका

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कमिश्नर नियुक्त किया गया था परन्तु तहसीलदार ने अपनी और से निरीक्षक को अधिकृत कर दिया जबकि विधि अनुसार He is not complaint to further delegate power to the subordinate official निरीक्षक द्वारा तैयार प्रस्ताव अनाधिकृत है तथा अनाधिकृत तथा मौका कब्जा एवं अपीलांट द्वारा काउण्टर क्लेम के साथ नक्शा बाबत् कब्जा के प्रतिकूल प्रस्ताव के आधार पर आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव बनाते वक्त तहसीलदार बायतु ने रास्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित लिहाजा रेस्पोडेंट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया। विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया इसके बावजूद भी 19.05.2013 को डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है जो विधि सम्मत नहीं होने से प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व विभाजन प्रस्ताव पर केवल हस्ताक्षकर किये गये है। तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा By Metes & Bounds नहीं किया गया है जबकि निर्णय के रोज प्रतिवादी पक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर कर इसे दुबारा मंगवाए जाने का निवेदन किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 22/2013 बअनवान कमला बनाम घमण्डाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2013 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करे।

29/7/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner